रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/97.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 16 जनवरी, 1997/26 पौष, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

विधायी (अंग्रेजी) शाखा

अधिसूचना

शिमला-2, 16 जनवरी, 1997

संख्या एल० एल० आर०-डी० (6)-1/97.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश

129-राजपत्र/97-16-1-97—1,303. मूल्य : 1 रुपया।

पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (अध्यादेश संख्या 3) को संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

1997 का अध्यादेश संख्यांक 3.

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 1997

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ।

हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 1997 है ।

धारा 3 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में,—

(क) उप-धारा (2) में विद्यमान परन्तुक का लोप किया जाएगा; और

(ख) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा (2-क) जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"(2-क) ग्राम पंचायत की अवधि के दौरान, जब इस कारण से कि उप-धारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन सभा क्षेत्र की बढ़ौतरी या कमी की जाती है, तो सभा क्षेत्र में बढ़ौतरी या कमी, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम की धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत की कालावधि के अवसान या इस अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु जहां सम्पूर्ण सभा क्षेत्र ऐसा सभा क्षेत्र नहीं रहता, वहां सभी सदस्य (जिनके अन्तर्गत प्रधान और उप-प्रधान भी हैं) सदस्य नहीं रहेंगे और वे इस धारा की उप-धारा (2) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से अपना पद रिक्त कर देंगे" ।

धारा 3-क का जोड़ना ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 3-क जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"3-क कतिपय पदाधिकारियों की अवधि का सभा क्षेत्र में कमी के कारण प्रभावित न होना.—इस अधिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी

किन्तु धारा 3 की उप धारा (2-क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी पंचायत समिति या जिला परिषद् के पदाधिकारी की पदावधि के दौरान जब इस कारण से कि सभा क्षेत्र या उसका भाग किसी नगरपालिका में सम्मिलित किया जाता है या नगरपालिका का भाग उससे उपवर्जित करके किसी सभा क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, तो सभा क्षेत्र में ऐसी बढ़ौतरी या कमी, पंचायत समिति या जिला परिषद् के पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम की धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान या इस अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नहीं करेगी"।

धारा 77 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 77 में, उप-धारा (2) का लोप किया जाएगा।

धारा 88 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 88 में, उप-धारा (2) का लोप किया जाएगा।

धारा 124 का प्रतिस्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 124 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"124. **प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र.**—निर्वाचन की सुविधा के लिए और पंचायत क्षेत्र में प्रत्येक वृद्धि या कमी के पश्चात् भी, उपायुक्त, ऐसे नियमों के अनुसार जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किए जाएं,—

(क) पंचायत क्षेत्र को उतने एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करेगा जितनी संख्या में सदस्य निर्वाचित किए जाने अपेक्षित हैं,

(ख) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की सीमा अवधारित करेगा,

(ग) उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों या निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण करेगा जिनमें इस अधिनियम के अधीन स्थान आरक्षित किए गए हैं।

धारा 167 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 167 की उप-धारा (1) में, "प्राधिकृत अधिकारी" शब्दों के पश्चात् और शब्द "प्रत्येक" से पूर्व "यथाशक्यशीघ्र और साधारणतया" शब्द अन्तःस्थापित किए जायेंगे।

महाबीर प्रसाद,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला :
15-1-1997.

हस्ताक्षरित/-
(सचिव विधि),
हिमाचल प्रदेश।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H. P. Ordinance No. 3 of 1997.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ORDINANCE, 1997

AN

ORDINANCE

to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994);

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Forty-seventh Year of the Republic of India.

Whereas the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (I) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title.

1. This Ordinance may be called as Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 1997.

Amendment of section 3.

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter called the principal Act),—

(*a*) in sub-section (2) existing proviso shall be omitted; and

(*b*) after sub-section (2), so amended the following sub-section (2-A) shall be added, namely:—

"(2-A) When on account of the reason that the Sabha area is, during the term of the Gram Panchayat, increased or diminished under clause (*a*) or (*b*) of sub-section (2) the increase or diminution of the Sabha area shall not affect the term of the office bearers of the Gram Panchayat till the expiration of the duration of the Gram Panchayat specified in sub-section (*1*) of section 120 of this Act or its dissolution under section 140 of this Act:

Provided that where the whole of the Sabha area ceases to be a Sabha area, all the members (including Pradan and Up-pradhan) shall cease to be the members and they shall vacate their offices from the date of the order made under sub-section (2) of this section."

Addition of section 3-A.

3. After section 3 of the principal Act, the following section 3-A shall be added, namely :—

"3-A. *Diminution of the Sabha area not to affect the term of certain office bearers.*— Notwithstanding anything to the contrary

contained in this Act, but subject to the provision of sub-section (2-A) of section 3, when on account of reason that the Sabha Area or the portion thereof is included in a municipality or a portion of municipality excluded therefrom is included in a Sabha area, during the term of office of the office bearers of a Panchayat Samiti or Zila Parishad, such increase or diminution of the Sabha area, shall not affect the term of the office bearers of the Panchayat Smiti or Zila Parishad, till the expiration of its duration specified in sub-section (1) of section 120 of this Act or its dissolution under section 140 of this Act."

Amendment of section 77.

4. In section 77 of the principal Act, sub-section (2) shall be omitted.

Amendment of section 88.

5. In section 88 of the principal Act, sub-section (2) shall be omitted.

Substitution of section 124.

6. For section 124 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"124. *Territorial Constituencies.*—For the convenience of the election and also after every increase or decrease of the Panchayat area, the Duputy Commissioner shall, in accordance with such rules as may be prescribed in this behalf by the State Government—

(*a*) divide the Panchayat area into as many single member territorial constituencies as the number of members are required to be elected;

(*b*) determine the extent of each territorial constituency; and

(*c*) determine the territorial constituency or constituencies in which seats are reserved under this Act."

Amendment of section 167.

7. In sub-section (1) of section 167 of the principal Act, after the words "by the authorised officer," the words "as expeditiously as possible and ordinarily every such petition shall be decided." shall be added.

MAHABIR PRASAD,
Governor.

SHIMLA:
15-1-1997.

Sd/-
Secretary (Law),
Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।